गोवा में ट्रेन से धराया एमबीए छात्रा की हत्या का आरोपी

- सोशल मीडिया पर वायरल किए थे 11 आपत्तिजनक वीडियो
- साइबर सर्विलांस और रेलवे टीम ने मिलकर की कार्रवाई

नवभारत न्यूज़

इंदौर. द्वारकापुरी इलाके में 25 वर्षीय एमबीए छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पीयूष धमनोतिया को गोवा से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी हत्या के बाद फरार हो गया था और मृतका का ही मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था. पुलिस ने तकनीकी और रेलवे सर्विलांस के जरिए उसे गोवा से मुंबई जाने वाली ट्रेन में दबोच लिया.

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद आरोपी रात करीब 8 बजे कमरे से निकला और तीन घंटे बाद छात्रा के मोबाइल से उसकी बहन को चौंकाने वाला मैसेज भेजा. पापा से कहना अब वह घर नहीं लौटेगी. इसके बाद परिजनों ने सहेलियों और परिचितों से संपर्क किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी ने दोनों के

बीच के 11 आपत्तिजनक वीडियो कॉलेज ग्रुप में वायरल किए. इसके अलावा, युवती के व्हाट्सऐप स्टेटस पर भी वीडियो अपलोड किए गए. यही नहीं, छात्रा के मोबाइल में सेव नंबरों पर भी भेज दिए, जिससे रिश्तेदारों और परिचितों में हडकंप मच गया.

आरोपी को पकडने के पीछे पुलिस ने तकनीकी और संयुक्त कार्रवाई अपनाई. साइबर सेल ने मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की और पाया कि वह गोवा में सक्रिय है. इसके बाद गोवा पुलिस और इंदौर पुलिस ने मिलकर घेराबंदी की और आरोपी को मुंबई जाने वाली ट्रेन में दबोच लिया. गिरफ्तारी के बाद मोबाइल और डिजिटल डेटा जब्त कर वीडियो, संदेश और लोकेशन हिस्ट्री की पुष्टि की गई, जो आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में निर्णायक साक्ष्य बनी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, आईटी एक्ट और अश्लील सामग्री प्रसारित करने की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम और डिजिटल साक्ष्यों की गहराई से जांच कर रही है.

गला घोंटने से पहले मुंह में कपड़ा ठूंसकर बनाए वीडियो

छात्रा के शव की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर निशान पाए गए हैं. आरोपी छात्र ने गला घोंटकर युवती की हत्या की. उससे पहले उसने छात्रा के मुंह पर कपड़ा ठूंसकर उसका आपत्तिजनक अवस्था में वीडियो भी बनाया. वही वीडियो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया. संभवतः वीडियो भी छात्र ने ही ग्रुप पर छात्रा के मोबाइल से डाला है.

हत्या के बाद खिड़की-दरवाजे बंद कर भागा आरोपी

छात्रा 10 फरवरी को पीयूष से मिलने उसके रूम पर आई थी. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद पीयूष ने छात्रा के साथ जबरदस्ती की और उसके वीडियो बनाए. उसके बाद निर्वस्त्र हालत में ही उसकी हत्या कर दी. परिजनों को उस पर शंका न हो, इसलिए वह खुद छात्रा के मोबाइल से उसकी बहन को मैसेज कर रहा था. छात्रा के लापता होने पर परिजन पीयूष के मकान पर भी गए थे, लेकिन ताला लगा होने के कारण लौट आए. पुलिस भी ताला देखकर दो बार लौटी, लेकिन जब कमरे से बदबू आने लगी तो हत्या का पता चला. आरोपी के पिता मंदसौर में रहते हैं और किराने की दुकान संचालित करते हैं.

दो बच्चों के सामने पिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

- बच्चे पैर पकड़कर कहते रहे पापा रुक जाओ, धक्का देकर फंदे पर झूला

नवभारत न्यूज़

इंदौर. शहर के रावजी बाजार क्षेत्र में एक पिता ने अपने दो बच्चों के सामने ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बच्चे पिता के पैर पकडक़र आत्महत्या करने से रोकते रहे, लेकिन पिता नहीं रुका और उसने रोते बच्चों के बारे में नहीं सोचा.युवक ने यह कदम पत्नी से हुए विवाद के बाद उठाया. युवक का नाम मनोज जाटव है और वह पेशे से होटल में कुक है.

पुलिस के अनुसार पत्नी से विवाद के बाद मनोज ने फांसी का फंदा बनाया और स्टूल पर चढ़ गया. दोनों बच्चों ने उसे रोकना चाहा, एक बच्चे ने पिता के पैर पकडक़र कहा कि पापा रुक जाओ, लेकिन मनोज ने बच्चों को धक्का दे दिया.

इसके बाद वो फांसी के फंदे पर झूल गया. बच्चे जब जोर-जोर से रोने लगे तो आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे और दरबाजा तोडक़र अंदर घुसे. अंदर का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए. दोनों बच्चे सहमे हुए खड़े थे और मनोज फंदे से लटक रहा था. पड़ौसियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मनोज को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और एमवाय अस्पताल ले गए. लेकिन, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया.

पुलिस के अनुसार मनोज का पत्नी से अक्सर मामूली बात पर विवाद होता था. आर्थिक तंगी के कारण भी अक्सर दोनों झगड़ते थे. शुक्रवार रात को भी दोनों के बीच विवाद हुआ और मनोज ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला लिया. आत्महत्या की जानकारी मिलने के बाद मनोज के परिजन भी इंदौर आ गए. पुलिस अब परिजनों के बयान लेगी. बहरहाल मर्ग कायम कर पुलिस जांच में जुटी हुई है.

एक साल की बच्ची को लेकर घर छोड़कर चली गई थी पत्नी

राधा गोविंद का बगीचा निवासी मनोज, पिता कल्याण जाटव किराए के मकान में रहता था और सरवटे बस स्टैंड के पास एक होटल में खाना बनाने का काम करता था. मृतक के साले भूरा जाटव ने बताया कि शुक्रवार रात मनोज की पत्नी किसी बात पर विवाद के बाद एक साल की बेटी को लेकर रिश्तेदार के यहां चली गई थी. घटना के समय घर में तीन साल और दो साल के दो बेटे मौजूद थे. भूरा जाटव ने कहा कि अचानक ऐसा कदम देखकर वे भी हैरान हैं, समझ नहीं आ रहा आखिर उसने यह खौफनाक निर्णय क्यों लिया.

5 माह के बच्चे की नींद उड़ाने वाला बुलेट सवार पकड़ाया

शिकायत पर तुरंत हरकत में आई पुलिस ने 12 घंटे में धर-धबोचा

इंदौर. तेज आवाज में बाइक चलाकर कॉलोनी में दहशत फैलाने वाले बुलेट चालक के खिलाफ पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है. पांच माह के बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़कर 1000 रुपये का चालान किया. मामला राज नगर क्षेत्र का है.

राज नगर निवासी एडवोकेट शुभम शर्मा ने 12 फरवरी को चंदन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि रोजाना रात करीब 11 से 1 बजे के बीच एक अज्ञात बुलेट चालक कॉलोनी से पटाखों जैसी कर्कश आवाज निकालते हुए तेज रफ्तार

से गुजरता था. इससे उनका पांच माह का बच्चा घबरा जाता और कांपने लगता था. शर्मा ने उसकी पहचान के लिए कई दिनों तक प्रयास किया, लेकिन वह हर बार तेज गति से निकल जाता था. बाद में उन्होंने बाइक चालक के फोटो और वीडियो पुलिस को व्हाट्सएप पर भेजे.

12 घंटे में पकड़ा गया आरोपी- एसीपी अमित सिंह और टीआई तिलक करोले के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन बुलेट क्रमांक एमपी 09 एएक्स 8887 के चालक को पकड़ लिया. 13 फरवरी को उसके खिलाफ 1000 रुपये का चालान किया गया और भविष्य में ऐसी हरकत न करने की सख्त समझाइश दी गई.

पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई

करीब तीन माह पहले शहर में अवैध साइलेंसर और हूटर के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था. ट्रैफिक पुलिस ने डेढ़ हजार से अधिक साइलेंसर और 70 हूटर जब्त कर रोड रोलर से नष्ट किए थे. यह कार्रवाई डीसीपी ट्रैफिक आनंद कलादगी के नेतृत्व में की गई थी. पुलिस ने पहले भी वाहन चालकों को चेतावनी दी थी कि अवैध साइलेंसर और हूटर हटवा लें, अन्यथा चालान और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी. इसके बावजूद शहर में कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं.

कबाड़ी ने एसिड पीकर दी जान

इंदौर. एमआईजी थाना क्षेत्र की छोटी खजरानी निवासी सोनू पिता गोकुल ने शुक्रवार देर रात अज्ञात कारणों से घर में रखे एसिड का सेवन कर लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे बेसुध अवस्था में एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी. थाना प्रभारी सीबी सिंह ने बताया कि सोनू कबाड़ खरीदने-बेचने का काम करता था. पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

एक नजर में

ट्रैफिक पुलिस का भ्रष्ट आरक्षक बर्खास्त

इंदौर. पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में प्रधान आरक्षक 2244 राजेश जायसवाल को सेवा से बर्खास्त कर दिया. 26 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह ड्यूटी के दौरान चालान के नाम पर पैसे लेने की बात करते दिखा. विभागीय जांच में भ्रष्ट आचरण और अनुशासनहीनता पाए जाने पर डीसीपी ट्रैफिक ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया.

सुनील खरे प्रदेश सचिव नियुक्त

महू. राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस एनजीओ में महू के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सुनील खरे को मध्यप्रदेश का सचिव नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति पर अमित वर्मा, प्रकाश चौहान, अमित गोगलिया, परमानंद त्रिपाठी, शुभम डागर, हिमांशु सिरोया आदि ने हर्ष व्यक्त कर बधाई दी. खरे अगले सप्ताह नई दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे.

14 फरवरी को वेलेंटाइन डे नहीं, मातृ-पितृ दिवस मनाया

महू. विपुल कृष्ण महाराज के सानिध्य में 14 फ़रवरी को धार नाका महू में ग्वाला समाज धर्मशाला में मातृ-पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया. इस पावन कार्यक्रम में लोग सहपरिवार शामिल हुए. इस अवसर पर बालक-बालिकाओं ने अपने माता-पिता का पूजन किया. पूज्य विपुल महाराज ने सभी को वेलेंटाइन डे के दुष्परिणामों के बारे में बताते हुए बच्चे कैसे अपने माता-पिता के पूजन से महान बनें ये बताया. कार्यक्रम का संचालन सुमन दीदी ने किया एवं आभार राजीव सोनी ने व्यक्त किया. कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष नवीन जोशी कोषाध्यक्ष बीएल सैनी, मदनलाल शर्मा, राधेश्याम कर्मा, बैजनाथ पाटीदार, पंकज देवड़ा, महेंद्र रियार, गौरव सिंह तंवर एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे. यह जानकारी युवा सेवा संघ के अध्यक्ष गौरव सिंह तंवर द्वारा कार्यक्रम की जानकारी दी गई.

100 बौद्ध भिक्षु नंगे पैर कर रहे 450 किमी की धम्म पदयात्रा

महू. डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक आंदोलन के नेता ओर वर्षों तक अपनी सेवा देने वाले डॉ मोहन राव वाकोड़े गगन मलिक फाउंडेशन के बैनर तले गुलबर्गा कर्नाटक सिद्धार्थ बौद्ध विहार से 450 किलोमीटर की धम्म पदयात्रा पर निकले हैं, जिसका नेतृत्व फिल्म अभिनेता डॉ. गगन मलिक कर रहे हैं. यात्रा में भगवान बुद्ध का पवित्र अस्थिकलश रथ में रखा गया है. साथ ही थाईलैंड देश के 100 बौद्ध भिक्षु नंगे पैर कठिन पद यात्रा कर रहे हैं. डॉ. मोहन राव वाकोड़े ने बताया कि लगभग सभी बौद्ध भिक्षुओं के पैरों में छाले पड़ गए, वह खुद ही अपने पैरों में टांके लगाकर चल रहे हैं. इस यात्रा में एक डॉगी भी शामिल हो गया है, जो बौद्ध भिक्षुओं के साथ यात्रा करता है और रात में भगवान की अस्थियों के पास बैठता है. यह यात्रा 3 मार्च को तेलंगाना के बुद्ध वनम नागाअर्जुन सागर पर समाप्त होगी. श्री वाकोड़े अभी तक 175 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं.

नशे में घर में घुस गया था, पीट-पीटकर मार डाला

इंदौर. तेजाजी नगर पुलिस ने मजदूर रेनसिंह की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है. सूत्रों के अनुसार, रेनसिंह नशे की हालत में भटकते हुए किसी घर में घुस गया था. चोर होने के संदेह या घुसपैठ से नाराज होकर घर के लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और लहूलुहान हालत में सड़क किनारे फेंक दिया, जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है.

सीएएसओ अभियान : 162 वांछित वारंट किए तामील

- 180 वाहन चालकों पर कार्रवाई

इंदौर. शहर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने 13-14 फरवरी की रात को कॉरडोन एण्ड सर्च ऑपरेशन (सीएएसओ) के तहत विशेष अभियान चलाया. पुलिस टीमों ने हॉटस्पॉट और संदिग्ध क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और सार्वजनिक स्थलों की चैकिंग की.

अभियान में लंबे समय से फरार 162 वांछित वारंट तामील किए, जिनमें 12 स्थाई, 45 गिरफ्तारी और 104 जमानती वारंट शामिल हैं. शराब पीकर वाहन

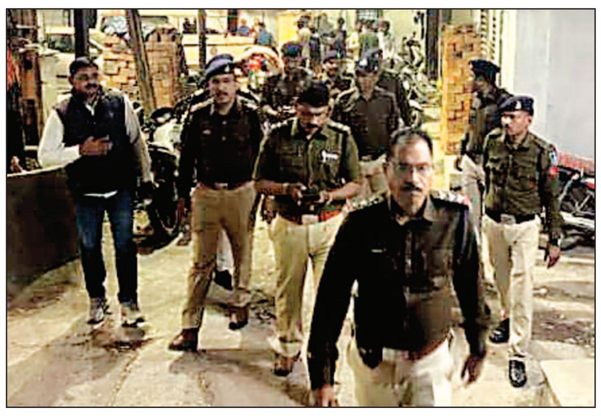

चलाने और यातायात नियम तोड़ने वाले 180 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. संशोधित साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल, बिना नंबर और विशेष नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर भी सख्त कार्रवाई हुई. मकानों में किरायेदारों की जानकारी न देने वाले 2 मकान मालिकों पर 223 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई.

एनडीपीएस एक्ट के 23 मामलों में कार्रवाई

अभियान के दौरान अवैध मादक पदार्थों के सेवन और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 23 मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. वहीं, 17 अपराधियों और संदिग्धों को चेक कर भविष्य में अपराध न करने की चेतावनी दी गई. इस दौरान पुलिस ने मोहल्ला बैठक और ध्वज मार्च के जरिए स्थानीय लोगों को नशे और साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूक किया. अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई शहर में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार जारी रहेगी.

पोस्टर विवाद में दिनदहाड़े युवक का अपहरण

- मंदिर परिसर से जबरन उठाकर बेरहमी से की पिटाई

इंदौर. लसूड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम ढाबली स्थित तीन बाणधारी खाटू श्याम बाबा मंदिर परिसर में दोपहर के वक्त उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक को सार्वजनिक स्थान से जबरन उठाकर अगवा कर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था.

ढाबली में रहने वाले फरियादी हेमंत पिलिया ने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि जब वह मंदिर परिसर में मौजूद था, तभी मनोज उर्फ बब्लू यादव, पियूष दुबे, पवन यादव, रविन्द्र सिंह राणा और देवेन्द्र यादव वहां पहुंचे. सभी ने मिलकर पहले गाली-गलौज की, फिर युवक को जबरन पकड़कर अपने साथ ले गए और रास्ते में उसके साथ लाठी-डंडों व लात-घूंसों से मारपीट की. मामले में थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी मनमुटाव से जुड़ा सामने आया है. मंदिर परिसर में लगाए गए कुछ पोस्टर दूसरे पक्ष को नागवार गुजरे, इसी को लेकर विवाद बढ़ा और वारदात हुई. पुलिस ने फरियादी के बयान दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

तेज रफ्तार कार की टक्कर से दो वर्षीय मासूम की मौत

इंदौर. लसूड़िया थाना क्षेत्र के हरे कृष्ण विहार कॉलोनी निपानिया में सुबह दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. तेज गति और लापरवाही से चल रही कार नम्बर एमपी 09 एटी 0452 ने दो वर्षीय बालिका प्रथिमा सहेरिया को टक्कर मार दी. गंभीर चोट लगने से मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर ठगी

इंदौर. शहर में आर्थिक अपराधों के दो गंभीर मामले सामने आए हैं. विजयनगर पुलिस ने क्विक टाइट फाइनेंस कंपनी के ऑफिस शगुन आर्केड से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना के मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. विजय नगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि 33 वर्षीय विशाल शर्मा की शिकायत पर शिवम तिवारी, नीलेश सोनी, देवेंद्र गोलकर, विनय नागर और मिताली यादव पर पांच लाख रुपये का लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने और बैंक दस्तावेजों में गड़बड़ी करने का आरोप है. परीक्षा के नाम पर साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील-इंदौर. बोर्ड व वार्षिक परीक्षाओं के दौरान प्रश्नपत्र या इम्पोर्टेंट सवाल उपलब्ध कराने के नाम पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया, कॉल, मैसेज, लिंक और एपीके फाइल के जरिए ठगी कर रहे हैं. इसे देखते हुए एडीसीपी क्राईम राजेश दंडोतिया ने साइबर एडवाइजरी जारी कर छात्रों व अभिभावकों से ऐसे अनजान कॉल और लिंक पर क्लिक न करने की अपील की है.

निजी कंपनी अकाउंटेंट ने किया सवा करोड़ का गबन

लसूड़िया थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी ने बताया कि क्षेत्र में एक निजी कंपनी से करीब 95 लाख 28 हजार रुपये के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है. फरियादी जावेद पटेल ने पुलिस को बताया कि डेक्कन सेल्स एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत अकाउंटेंट शैलेन्द्र शर्मा ने नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच अलग-अलग मदों की राशि कंपनी खातों में ट्रांसफर करने के बजाय अपने निजी खाते में जमा कर ली. दोनों मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आर्थिक अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस द्वारा दस्तावेजों और बैंक ट्रांजेक्शन की बारीकी से पड़ताल की जा रही है.

एक नजर में — जीएसटी व्यवस्था, महंगाई और वरिष्ठ नागरिकों को राहत जैसे मुद्दों पर स्पष्ट समाधान न मिलने से नाराजगी

व्यापारी बोले... इस बार का बजट ऊंट के मुंह में जीरे के समान

इंदौर. वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर व्यापारिक जगत के एक बड़े वर्ग में असंतोष गहराता दिख रहा है. जीएसटी व्यवस्था, महंगाई और वरिष्ठ नागरिकों को राहत जैसे मुद्दों पर स्पष्ट समाधान न मिलने से नाराजगी खुलकर सामने आ रही है.

वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश होने के बाद व्यापारिक समुदाय के एक बड़े तबके में निराशा देखी जा रही है. खास तौर पर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को लेकर व्यापारी खुलकर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि कफन, श्मशान की लकड़ी, धूप और अगरबत्ती जैसी जीवन के अंतिम संस्कार से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाया जाना संवेदनहीन निर्णय प्रतीत होता है. व्यापारियों का तर्क है कि ये वस्तुएं आम नागरिक की मूल जरूरत से जुड़ी हैं, जिन पर कर का बोझ नहीं होना चाहिए था.

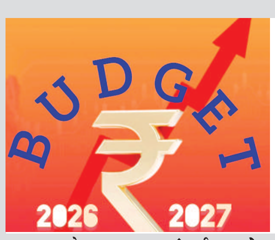

इसके अलावा महंगाई पर ठोस नियंत्रण के लिए बजट में किसी प्रभावी कदम की घोषणा न होने से भी असंतोष बढ़ा है. बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आम उपभोक्ता और मध्यम वर्ग को राहत की उम्मीद थी, जो पूरी होती नजर नहीं आई. कई व्यापारियों ने बजट को ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए इसे अपेक्षाओं से कमतर बताया. सीनियर सिटीजन के लिए भी किसी बड़ी कर छूट या विशेष आर्थिक राहत की घोषणा नहीं होने से वरिष्ठ नागरिकों में मायूसी है. कुल मिलाकर बजट 2026-27 को लेकर व्यापारी वर्ग स्पष्ट रूप से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा और आने वाले समय में इस मुद्दे पर संगठित प्रतिक्रिया की संभावना जताई जा रही है.

इनका कहना है...

इस बार का जो बजट आया है, भैंस के आगे बीन बजाने के मुताबिक है. प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों के ऊपर कफन पर भी जीएसटी लगा दिया है. वस्त्र लकड़ी, धूप, अगरबत्ती जैसी वस्तुओं पर जीएसटी लगा दिया यह बिल्कुल गलत है.

-संजय अरोड़ा, अध्यक्ष, मप्र ट्रांसपोर्ट महासंघ

आम नागरिक चाहता है कि सरकार द्वारा बजट ऐसा हो, जिससे मध्य वर्ग को भी बड़ी राहत मिले. बजट में महंगाई कम करने को लेकर कोई बात नहीं हुई, जो कि अति आवश्यक थी. यह बजट कुल मिलाकर ऊंट के मुंह में जीरे के समान है.

- डॉ. सुमित आनंद, चेयरमैन, एंटी करप्शन फाउंडेशन

रेलवे में सीनियर सिटीजन के लिए कोई राहत नहीं दी गई. रेलवे में कहीं पर भी जाना हो, हमेशा 40 से ऊपर तक की वेटिंग आती है, फिर रेलवे कैसे नुकसान में चल रही है. यह कैसे संभव हो सकता है.

-जयप्रकाश मौर्य, व्यापारी

जेल रोड पर यातायात सुधार को लेकर डीसीपी ने की बैठक

इंदौर. जेल रोड व नॉवेल्टी मार्केट क्षेत्र में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने व्यापारियों के साथ बैठक की. लगातार भ्रमण और निगरानी के चलते क्षेत्र में आवागमन सुगम हुआ है. बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात नरेश अन्नोटिया, एसीपी हिन्दू सिंह मुवेल व थाना प्रभारी अरविंद दागी उपस्थित रहे.

व्यापारियों ने दुकानों के सामने बनी व्हाइट लाइन में केवल अल्प समय के लिए वाहन खड़े करने और अपने वाहन निर्धारित महाराजा पार्किंग में रखने का भरोसा दिलाया. डीसीपी ने नियम तोड़ने पर क्रेन से कार्रवाई की चेतावनी दी. वहीं अवैध पार्किंग की शिकायत व्हाट्सएप हेल्पलाइन 7049107620 पर करने को कहा गया है.